न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, भागलपुर

उपस्थित :– राज नारायण निगम, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, भागलपुर

सत्र वाद संख्या–894 / 2022

टी0आर0 नंबर–96 / 2022

महिला थाना कांड संख्या–06 / 2022

आरोप गठन–376,417,323 / 34,341 / 34,504 / 34,506 भा0द0वि0

निर्णय की तिथि. 27.05.2026

बिहार सरकार .... अभियोजन

Versus

1- मो0 आरिफ, पे0– मो0 शाहब खान,

2. शकिर खान, पे0– मो0 शाहब खान

3. मो0 शाहब खान, पे0– स्व0 मजिद खान

4. जुबेदा खातून, पति– मो0 शाहब खान

ग्राम–बडी खंजरपुर, थाना–जगदीशपुर, जिला–भागलपुर

--- अभियुक्तगण

Appearance

Counsel on behalf of the prosecution:- श्री अजय कुमार यादव, अपर लोक अभियोजक

Counsel on behalf of the defence:- मो0 नसीम युनूस, विद्वान अधिवक्ता

निर्णय

District and Additional Sessions Judge-I ★ Bhagalpur ★

1. प्रस्तुत वाद में उपरोक्त अभियुक्त मो0 आसिफ के विरूद्व धारा–376,417, 323 / 34,341 / 34,504 / 34,506 भा0द0वि0 के अपराध में आरोपित किया गया है एवं शकिर खान, मो0 शाहब खान, जुबेदा खातून के विरूद्व धारा– 323 / 34,341 / 34,504 / 34,506 भा0द0वि0 के अपराध में आरोपित किया गया है।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि अभियुक्त मो0 आसिफ पीडिता सूचिका का पड़ोसी है और साथ में स्कूल आने जाने के कम में दोनो में प्यार हो गया और बुढानाथ पार्क, [illegible] कंपाउंड भी ले जाया करता था और प्यार मोहब्बत का बात करता था और पीड़िता को पसंद करता था और पीडिता से वादा किया था कि हम तुमसे शादी करेंगे। फिर अभियुक्त मो0 आसिफ पीडिता को अपने घर बुलाता था और वही पर शारीरिक संबंध बनाता था और अभियुक्त मो0 आसिफ के पिता–साहब खान, उसकी मॉ जुबेदा खातून, और भाई साकिर उर्फ पप्पू इस रिश्ते के विरूद्ध खड़ा था और धमकी देता था कि अगर तुम इस लडकी से शादी करोगे तो दोनो की

हत्या कर फांसी पर चढ़ जायेंगे।

3. पीड़िता सूचिका के लिखित बयान के आधार पर महिला थाना कांड संख्या–06/2022 दिनांक–28.01.2022 को औपचारिक प्राथमिकी अभियुक्त मो0 आसिफ, शकिर खान, मो0 शाहब खान, जुबेदा खातून के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधानोपरांत घटना को सत्य पाते हुए अभियुक्त मो0 आसिफ, शकिर खान, मो0 शाहब खान, जुबेदा खातून के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–30/2022 दिनांक 07.06.2022 धारा 376,420,341,323,504,506/34 भा0द0वि0 का विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, द्वितीय के न्यायालय में समर्पित किया। श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, भागलपुर द्वारा दिनांक 04.08.2022 को अभियुक्त मो0 आसिफ, शकिर खान, मो0 शाहब खान, जुबेदा खातून के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध का संज्ञान लिया गया। दिनांक 23.11.2022 को विद्वान न्या0 दंडा0, प्रथम श्रेणी भागलपुर द्वारा वाद दौरा सुपूर्द किया गया। ततपश्चात् प्रस्तुत वाद विचारण एवं निष्पादन के कम में विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा निष्पादन के लिये इस न्यायालय में दिनांक 06.12.2022 को स्थानांतरित किया गया।

4. अभियोजन की ओर से कुल पांच साक्षी पीड़िता पी0के0, पीड़िता के मॉ बी0आर0के0, पीड़िता के पिता एम0एन0के0, कैंकश प्रवीण एवं अनुसंधानकर्ता गुलचन पासवान का बयान हुआ है। अभियोजन द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नांकित साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है :–

प्रदर्श पी–1/पीडब्लू–1–	फर्दबयान
प्रदर्श पी–2/पीडब्लू–1–	धारा 161 द0प्र0स0 का बयान
प्रदर्श पी–3/पीडब्लू–1–	धारा 164 द0प्र0स0 का बयान
प्रदर्श पी–1/1/पीडब्लू–5–	फर्दबयान पर पंजीकरण
प्रदर्श पी–4/पीडब्लू–5 से	
पी–4/1/पीडब्लू–5–	औपचारिक प्राथमिकी पर हस्ताक्षर

5. दिनांक 23.05.2026 को अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया एवं दिनांक 27.05.2026 को अभियुक्तगण का धारा 313 के अंतर्गत बयान लिया गया जिसमें अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष बताया।

6. प्रस्तुत वाद में विचारण का मुख्य विषय यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गए आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

District and Additional Sessions Judge * Bhagalpur *

27.5.26

मंतव्य

7. अभियोजन द्वारा कुल–05 साक्षियों का बयान कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–01 पीड़िता/सूचिका पी0के0 है अपने मुख्य परीक्षण के साक्ष्य में कही है कि मैं इस केस की सूचिका हूँ। पीड़िता यह केस मो0 आसिफ, मो0 साहब खान, मो0 साकिर उर्फ पप्पू एवं बीबी जुबेदा पर की हूँ। घटना वर्ष 2022 की है। पीड़िता मो0 आसिफ सिंह के साथ प्यार करती थी तथा पीड़िता शादी करना चाहती थी लेकिन अभियुक्त मो0 आसिफ ने शादी करने से इन्कार कर दिया था। पीड़िता के साथ अभियुक्त ने संबंध भी बनाया था, इसी को लेकर लडाई–झगडा हुआ था तथा पीड़िता महिला थाना गयी थी और वहां पर केस हुआ था। केस करने के बाद भी अभियुक्त मो0 आसिफ शादी करने के लिए नहीं मान रहे थे तथा एक साल के बाद समझौता हुआ तब अभियुक्त ने

पीड़िता से शादी किया। अभी अभियुक्त मो0 आसिफ से पीड़िता को एक बच्चा भी है तथा अभी पीड़िता वर्तमान में अपने पति के साथ अच्छे से रह रही है तथा पीड़िता को अभी किसी से गिला शिकवा नहीं है। पीड़िता केस लड़ना नहीं चाहती है। थाना में दिया गया आवेदन पीड़िता के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे पीड़िता पहचानती है। संपूर्ण आवेदन को साक्षी के हस्ताक्षर सहित प्रदर्श–P-1/PW-1 अंकित किया जाता है। पीड़िता का महिला पुलिस के समक्ष भी धारा 161 सी0आर0पी0सी0 का बयान हुआ था, उसपर भी पीड़िता अपना हस्ताक्षर की थी, जिसे पीड़िता पहचानती है। बयान पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श– P-2/PW-1 अंकित किया जाता है। पीड़िता का न्यायालय में भी धारा 164 सी0आर0पी0सी0 का बयान हुआ था, जिसे पीड़िता पढ़कर सही पाकर उसपर अपना हस्ताक्षर की थी, जिसे पीड़िता पहचानती है। संपूर्ण धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान को साक्षी के हस्ताक्षर सहित प्रदर्श–P-3/PW-1 अंकित किया जाता है। पीड़िता का चिकित्सीय जांच भी हुआ था। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त मो0 आसिफ को पीड़िता पहचानती है तथा अन्य अनुपस्थित अभियुक्तों को भी देखकर पहचानने का दावा करती है।

पीड़िता अपने प्रतिपरीक्षण में कही है कि अभी मैं बरहपुरा में अपने पति मो0 आसिफ के साथ पति–पत्नी के तरह रह रही हूँ। बीबी जुबेदा, मो0 साकिर, मो0 साहब के साथ मेरा अच्छा संबंध है तथा किसी प्रकार का उनसे कोई विवाद नहीं है। घटना के पहले पीड़िता का अभियुक्त से संबंध बना था। केस के पांच वर्ष पहले से मैं अभियुक्त मो0 आसिफ को जानती थी तथा प्यार करती थी। यह बात सही है कि मैंने इस प्यार के दौरान अभियुक्त से स्वेच्छा से संबंध बनायी थी। पीड़िता अभियुक्त मो0 आसिफ से दिनांक 02.05.2023 को शादी की थी तथा उन दोनो से एक पुत्र भी है जो अभी पांच माह का है। पीड़िता का अपने पति मो0 आसिफ के साथ मधुर संबंध है तथा वह पीड़िता को अच्छे से रख रही है। आज पीड़िता बरहपुरा से अपने पति मो0 आसिफ के साथ घर से आई है। पीड़िता थाना में जो आवेदन दी थी, वह अपने घर वालो के दबाव में दी थी । पुलिस के समक्ष भी पीड़िता जो बात बताई थी, वह भी अपने घर वालो के दबाव में दी थी और उसपर हस्ताक्षर की थी। धारा 164 सी0आर0पी0सी0 का भी बयान पीड़िता अपने परिवार वालो के दबाव में दी थी और दबाव में ही हस्ताक्षर की थी। पीड़िता को अपने पति मो0 आसिफ से कोई गिला शिकवा नहीं है और ना ही इनके घर वालो से कोई गिला शिकवा है।

अभियोजन साक्षी संख्या–02 बी0आर0के0, अभियोजन साक्षी संख्या–03 एम0एन0के0 और अभियोजन साक्षी संख्या–04 कहकोशा परवीण पक्षद्रोही घोषित है और घटना का लेशमात्र समर्थन भी नहीं किया है।

अभियोजन साक्षी संख्या–05 अनुसंधानकर्ता गुलचन पासवान है और उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 28.01.2022 को मैं पु0अ0नि0 के पद पर महिला थाना भागलपुर मे पदस्थापित था। उस दिन मुझे भागलपुर महिला थाना कांड संख्या–06/22 दिनांक 28.01.2022 धारा 376, 420, 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0वि0 के अनुसंधान का भार तत्कालीन महिला थानाध्यक्ष भागलपुर कुमारी नीता के द्वारा सौंपा गया था। लिखित आवेदन पर कांड दर्ज करने का पृष्ठांकन तत्कालीन महिला थानाध्यक्ष भागलपुर कुमारी नीता के लिखावट एवं हस्ताक्षर मे है जिसे मैं पहचानता हूँ, इसे प्रदर्श–P-1/1/PW-5 अंकित किया जाता है। औपचारिक प्राथमिकी

District and Additional Sessions Judge-I ★ Bhagalpur ★

थानालेखक के लिखावट एवं है तथा उसपर तत्कालीन महिला थानाध्यक्ष भागलपुर कुमारी नीता के हस्ताक्षर मे है जिसे मैं पहचानता हूँ, इसे क्रमशः प्रदर्श– P-4/PW-5 & P-4/1/PW-5 अंकित किया जाता हैं। अनुसंधान का भार ग्रहण करने के बाद मैनें वादिनी का पुनः बयान लिया। उसके बाद गवाह बीबी रसीदा, कैकशा, मो0 निसार खांन का बयान लिया। उसके बाद मैनें घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस कांड का घटनास्थल सहायक बरारी थानाक्षेत्र अंतर्गत ग्राम–नूरपुर, बड़ी खंजरपुर, जिला–भागलपुर स्थित वादिनी का घर है जो थाना से एक किलोमीटर की दूरी पर है। घटनास्थल के उत्तर में रियाज खांन का परती जमीन, दक्षिण मे रियाज खांन का बॉउड्री से घिरा परती जमीन है, पूरब मे बहाब खांन का परती जमीन तथा पश्चिम मे पी0सी0सी0 रोड तथा मो0 सन्नी का पक्का मकान है। उसके बाद मैनें पीडिता का चिकित्सीय जांच करवाया तथा चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त किया। उसके बाद महिला पुलिस पदाधिकारी के समक्ष पीडिता का धारा 161 का बयान करवाया। उसके बाद मैनें पीडिता का माननीय न्यायालय मे धारा 164 सी0आर0पी0सी0 का बयान करवाया। उसके बाद मैनें अभियुक्त का सफाई बयान लिया। उसके बाद मैनें गवाहों के बयान एवं घटना को सत्य पाते हुए मैनें इस कांड में अभियुक्त मो0 आसिफ खां उर्फ छोटू, साकिर उर्फ पप्पू, मो0 सहाब खान, जुबैदा उर्फ जुबैदा खातून के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–30/2022 दिनांक 07.06.2022 अंतर्गत धारा 376,420,341,323,504,506,34 भा0द0वि0 के अधिन सर्मपित किया जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर मे है जिसे मैं पहचानता हूँ, इसे प्रदर्श– P-5/PW-5 अंकित किया जाता है। मैं सभी अभियुक्तों को पहचानता हूँ।

साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि महिला थाना, भागलपुर मे मेरी प्रतिनियुक्ति कब हुई थी, तिथि याद नही है। थाना मे दिया गया लिखित आवेदन मेरे समक्ष नही लिखा गया था तथा लिखित आवेदन पर कांड दर्ज करने का पृष्ठांकन मेरे समक्ष नही किया गया था। सूचिका ने मेरे समक्ष अपने बयान मे यह कही थी कि वह अभियुक्त मो0 आसिफ से प्यार–मोहब्बत करती थी तथा मुझें घर बुलाकर मेरे साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता था। सूचिका ने अपने लिखित आवेदन एवं पुनः बयान मे कही है कि वह मो0 आसिफ से शादी करना चाहती थी तथा किसी अन्य से शादी होने पर अपना जीवन समाप्त कर देने की भी बात बतायी है। अनुसंधान के कम मे मुझें पता चला था कि पीडिता सह वादिनी बालिग थी। सभी साक्षियो ने मेरे समक्ष अपने बयान मे यह कहा था कि अभियुक्त मो0 आसिफ पीडिता को शादी का झांसा देकर बुलाता था। ऐसी बात नही है कि मेरा अनुसंधान त्रुटिपूर्ण है तथा मैनें वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आधार पर समर्पित किया हूँ।

10. उभयपक्षों का पूर्ण बहस सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध समक्ष साक्ष्य का अवलोकन किया। साक्ष्य के अवलोकन एवं विशलेषण करने के उपरांत विदित होता है कि साक्षी संख्या–01 सूचिका पीडिता यह केस मो0 आसिफ, मो0 साहब खान, मो0 साकिर उर्फ पप्पू एवं बीबी जुबेदा पर की है। घटना वर्ष 2022 की है। पीड़िता मो0 आसिफ सिंह के साथ प्यार करती थी तथा पीड़िता शादी करना चाहती थी तथा घटना एक साल के बाद समझौता हुआ तब अभियुक्त ने पीड़िता से शादी किया। अभी अभियुक्त मो0 आसिफ से पीडिता को एक बच्चा भी है तथा अभी पीडिता वर्तमान में अपने पति के साथ अच्छे से रह रही है तथा पीडिता को अभी किसी से गिला शिकवा नहीं है। पीड़िता केस लड़ना नहीं चाहती है। पीडिता अपने प्रतिपरीक्षण में कही है कि अभी मैं बरहपुरा में

अपने पति मो0 आसिफ के साथ पति–पत्नी के तरह रह रही हूँ। बीबी जुबेदा, मो0 साकिर, मो0 साहब के साथ मेरा अच्छा संबंध है तथा किसी प्रकार का उनसे कोई विवाद नहीं है। यह बात सही है कि पीड़िता इस प्यार के दौरान अभियुक्त से स्वेच्छा से संबंध बनायी थी। पीड़िता अभियुक्त मो0 आसिफ से दिनांक 02.05.2023 को शादी की थी तथा उन दोनो से एक पुत्र भी है जो अभी पांच माह का है। पीड़िता का अपने पति मो0 आसिफ के साथ मधुर संबंध है तथा वह पीड़िता को अच्छे से रख रही है। आज पीड़िता बरहपुरा से अपने पति मो0 आसिफ के साथ घर से आई है। पीड़िता थाना में जो आवेदन दी थी, वह अपने घर वालो के दबाव में दी थी । पुलिस के समक्ष भी पीड़िता जो बात बताई थी, वह भी अपने घर वालो के दबाव में दी थी और उसपर हस्ताक्षर की थी। धारा 164 सी0आर0पी0सी0 का भी बयान पीड़िता अपने परिवार वालो के दबाव में दी थी और दबाव में ही हस्ताक्षर की थी। पीड़िता को अपने पति मो0 आसिफ से कोई गिला शिकवा नहीं है और ना ही इनके घर वालो से मुझे कोई गिला शिकवा है।

11. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सूचिका पीड़िता द्वारा अपने केस को साबित करने में सर्वथा असमर्थ रही है जिसके आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि अभियोजन गवाह संदेहास्पद हो जाता है तदनुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

12. अभियुक्त मो0 आसिफ, शकिर खान, मो0 शाहब खान, जुबेदा खातून के विरूद्ध धारा– **376,417,323 / 34,341 / 34,504 / 34,506 भा0द0वि0** के आरोप में साक्ष्य का अभाव एवं संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त किया** जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है। अतः अभियुक्तगण के जमानतदारों को बंध–पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाने एवं सुधारने के बाद खुली न्यायालय में सुनाया गया। लेखापित एवं मेरे द्वारा शुद्धिकृत

District and Additional Sessions Judge-I ★ Bhagalpur ★

राज नारायण निगम
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
भागलपुर
दिनांक 27.05.2026

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाने एवं सुधारने के बाद खुली न्यायालय में सुनाया गया। लेखापित एवं मेरे द्वारा शुद्धिकृत

District and Additional Sessions Judge-I ★ Bhagalpur ★

राज नारायण निगम
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
भागलपुर
दिनांक 27.05.2026

Date of Judgment/Order	27·05·2026
Date of Reserving Judgment/Order	27·05·2026
Uploading Date	02·06·2026
Uploaded by	Neelam Kumari D·E·O